



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 568 राँची, गुरुवार, 24 नवम्बर, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2022

संख्या-12/रिनपास (स्था०):-02-09/2013(खण्ड)-146 (12)--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, “राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) शिक्षा सम्वर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

संशोधन किये जाने वाले प्रावधान:-“सीनियर रेजीडेन्ट: संविदा राशि झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2018 के प्रावधानित राशि के अनुसार Rs. 60,000”

संशोधित प्रावधान:-“सीनियर रेजिडेन्ट: संविदा राशि झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2018 के अनुसार समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुरूप प्रावधानित राशि देय होगी ।

2. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-21.10.2022 की मद संख्या 10 के रूप में प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।
